



मुख्य आयुक्त कार्यालय

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER

वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर

GOODS & SERVICE TAX & CENTRAL EXCISE (JAIPUR ZONE), JAIPUR

NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR-302005

EMAIL: ccu-cexjpr@nic.in

(केंद्र कंट्रोल यूनिट)

Telefax: 0141-2385813

F.No. II-3(42)CCU/JZ/2019/ 1001

Dated: 29.08.2019

To,

The Principal Commissioner/Commissioner,  
GST & Central Excise Commissionerate,  
Jaipur / Jodhpur / Alwar / Udaipur  
Audit Jaipur / Audit Jodhpur  
Appeals Jaipur / Appeals Jodhpur

Customs (Prev.) Commissionerate, Jodhpur,  
Hqrs. at Jaipur.

Sir,

Subject:- Recruitment Rules for the post of Superintendent of Central Excise –  
Regarding

Please find enclosed herewith a copy of letter F.No. A-12018/10/2012-Ad.IIB dated 23/26.08.2019 along with its enclosures on the above cited subject.

2. In this context, it is submitted that as per the Superintendent of Central Excise Recruitment Rules, 2019, Inspector of Central Excise with two years regular service in the grade and has successfully completed 2-4 weeks training as prescribed by the department, is eligible for promotion to the grade of Superintendent of Central Excise.

3. It is, therefore, requested to ensure that the Inspectors working under your jurisdiction should complete the 2-4 weeks training as prescribed by the department, so that, they can be eligible for promotion to the grade of Superintendent of Central Excise on completion of 2 years regular service in the grade of Inspector.

Yours faithfully,

-Sd-

Enclosure:- As Above.

(Vikas Kumar Jeph)

Additional Commissioner (CCU)

Copy to:-

1. The Superintendent (Computer), GST & Central Excise Commissionerate, Jaipur for uploading on the departmental website.
2. The President/General Secretary, AIACEI, Rajasthan Unit, Jaipur for information of their members.

29.8.2019

(Vikas Kumar Jeph)

Additional Commissioner (CCU)

F.No. A-12018/10/2012-Ad.IIB  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
Central Board of Indirect Taxes & Customs  
\*\*\*\*\*

New Delhi, the 23<sup>rd</sup> August, 2019  
26

To

All Pr. Chief Commissioners/ Chief Commissioners,  
Pr. Directors General/ Directors General,  
under CBIC.

(Through official website of CBIC)

**Subject: Recruitment Rules for the post of Superintendent of Central Excise.**

Madam/ Sir

I am directed to say that the Recruitment Rules for the post of Superintendent of Central Excise in Level 8 in the Pay Matrix under CBIC, Department of Revenue, Ministry of Finance have been notified in the Gazette of India vide GSR 249 dated 05.08.2019. The related portion of RRs is at pg.1193 to 1197 of the Gazette. A copy of the same is enclosed. You are requested to kindly circulate the notified RRs amongst the officers concerned.

Encl. - as above.

Yours faithfully

  
(S. K. Jain)

Under Secretary to the Govt. of India  
Tel. No. 23095584

Copy to-

1. The Director General of Systems & Data Management, CBIC with the request to upload the notified RRs for the post of Superintendent of Central Excise, on the website of CBIC.
2. The Secretary, UPSC Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi - for information [UPSC ref. letter F.No.3/8(3)/2019-RR].
3. OSD to Chairman, CBIC/ PS to Member (Admn), CBIC.
4. Commissioner (Coord), CBIC.
5. DS (Ad.IIA&B), CBIC.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, अगस्त 4—अगस्त 10, 2019, शनिवार/श्रावण 13—श्रावण 19, 1941  
No. 32] NEW DELHI, AUGUST 4—AUGUST 10, 2019, SATURDAY/SRAVANA 13—SRAVANA 19, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2019

**सा.का.नि. 247.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (क) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (चपरामी) भर्ती नियम 1981, (ख) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, वर्ग घ पद, भर्ती नियम, 1977, और (ग) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (दफ्तरी) भर्ती नियम, 1972 उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में बहु कार्य कर्मचारी वृंद (चपरामी, झाड़ू कश, फराश, माली, दफ्तरी, चौकीदार) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, बहु कार्य कर्मचारी वृंद (चपरामी, झाड़ू कश, फराश, माली, दफ्तरी, चौकीदार) (समूह ग पद) भर्ती नियम, 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation /absorption:</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(ii) with five years service rendered after appointment to the post on regular basis in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p>(b) possessing the educational qualifications prescribed under column (7).</p> <p><b>Note 1:-</b> Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 2:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.</p>	<p><b>Departmental Confirmation Committee consisting of:-</b></p> <p>(1) Head of Office, Directorate of Forensic Science Services Chairman;</p> <p>(2) Administrative Officer, Directorate of Forensic Science Services - Member;</p> <p>(3) Under Secretary or Desk Officer, Ministry of Home Affairs Member.</p>	<p>Not applicable.</p>

[F. No. DFSS/38/(11)/2014]

R. K. SONI, Under Secy.

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2019

**सा. का. नि. 249.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादशुल्क, भर्ती नियम, 1986 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुये, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का जोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ .—**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादशुल्क, भर्ती नियम, 2019 है।  
 (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर .—** उक्त पदों की संख्या, उनको वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुमूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि .—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुमूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

(नोट: जब तक कि केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड अन्यतः निर्देशित न करे तब तक प्रत्येक ज़ोनल कैडर कंट्रोलिंग अथारिटी का अपना अलग कैडर होगा।)

**4. निरर्हता .—** वह व्यक्ति-

- (क) जिमने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह संविदा की है या  
 (ख) जिमने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा मंत्र लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुमूचित जातियों, अनुमूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादशुल्क	15136* (2019) * कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100 रुपये)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और अन्य अर्हताएँ प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिीक्षा, यदि कोई हो, की अवधि	भर्ती की पद्धति/ भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नत/प्रतिनियुक्ति/आमेलन के द्वारा किए जाने वाली भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिसमें से प्रोन्नत/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नत समिति है तो उसकी संरचना।	परिस्थिति जिसमें कि भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना हो।
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन-मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400/- रुपये) में के ऐसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक जिन्होंने इस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। <b>टिप्पण :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p><b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) की संरचना:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>काडर नियंत्रक मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क - अध्यक्ष;</li> <li>संबंधित काडर नियंत्रक आयुक्त - सदस्य;</li> <li>अपर आयुक्त (कार्मिक और सतर्कता) काडर नियंत्रक आयुक्तालय - सदस्य।</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना जरूरी नहीं।</p>

[फा.सं. ए-12018/10/2012-प्रशा.-IIबी]

नगेन्द्र कुमार, अवर सचिव (प्रशा.-IIबी)

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 5th August, 2019

**G. S. R. 249.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Superintendent of Central Excise, Group 'B' Recruitment Rules, 1986 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Superintendent of Central Excise, Group 'B' Gazetted in Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Superintendent of Central Excise Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

(Note: Each Zonal Cadre Controlling Authority shall have its own separate cadre unless otherwise directed by the Central Board of Indirect Taxes and Customs.)

**4. Disqualification.**— No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Superintendent of Central Excise	15136* (2019) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level 8 in the Pay Matrix (Rs.47600-151100)	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various method
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grade from which promotion/ deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Inspector of Central Excise in Level 7 in the Pay Matrix (Rs. 44900-142400/-) with two years' regular service in the grade and has successfully completed 2-4 weeks training as prescribed by the Department. <b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cadre Controlling Chief Commissioner of Customs and Central Excise – Chairman;</li> <li>2. Cadre Controlling Commissioner concerned – Member;</li> <li>3. Additional Commissioner (Personnel and Vigilance) of the Cadre Controlling Commissionerate – Member.</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
---	--	--

[F.No. A-12018/10/2012-Ad.-IIB]

NAGENDRA KUMAR, Under Secy.(AD.-IIB)

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2019

**सा.का.नि. 250.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (श्रेणी 'ग') भर्ती नियम, 1993 को, जहां तक उनका संबंध लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन), भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और मंच लोक सेवा से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।